

दैनिक नवज्योति

12 अजमेर ■ 22 जुलाई, 2015 ■ बुधवार



बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रधान कार्यालय : अजमेर
प्लॉट नं. 2343 द्वितीय तल वैशाली नगर, अजमेर 305006

अपने ग्राहक को जानिए (कैवाईसी) अनुपालना हेतु समस्त सम्मानित ग्राहकों को सूचना व अनुरोध

भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी खातों अनिवार्यतः कैवाईसी अनुपालित होने चाहिए। अतः ऐसे सभी खाताधारक जिन्होंने अभी तक पहचान एवं पते का प्रमाण (आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज—पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैनकार्ड, चुनाव आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, नरेगा का जीबकार्ड, आधार कार्ड—उपरोक्त दस्तावेज में यदि पता उल्लेखित हो तो कोई भी एक दस्तावेज पहचान एवं पते दोनों के लिये प्रयोग है) एवं अपना नवीनतम फोटो जमा नहीं कनवाया है, उनसे अनुरोध है कि वर्णित दस्तावेज दिनांक 10.08.2015 से पहले अपनी बैंक शाखा में आवश्यक रूप से जमा करवाएं। दिनांक 10.08.2015 के बाद गैर कैवाईसी अनुपालित खातों में किसी प्रकार के लेनदेन की अनुमति नहीं दी जायेगी। प्रधानमंत्री जनधन योजनांतर्गत खोले गये बचत खाता धारकों से अनुरोध है कि खाते में संतोषजनक लेनदेन करें और नियमानुसार अधिविकर्स सुविधा का लाभ प्राप्त करें।

महाप्रबन्धक